अल्प संख्यक समुदायों के लिये कल्याणकारी योजनायें

Welfare Schemes For Minority Communities

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

अल्पसंख्यक समुदायों के लिये कल्याणकारी योजनाएं

(Welfare Schemes for Minority Communities)

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम,

जयपुर–302005

फोन / फैक्स – 0141–2385254

E-mail: info@barcjaipur.org

Web: www.barcjaipur.org

अध्ययन एवं शोध : बार्क टीम

सम्पादन : भूपेन्द्र कौशिक एवं गोपाल राम वर्मा

ग्राफिक्ल डिजाइन : नितेश शर्मा

अध्ययन अथवा शोध उद्देश्य हेतु इस किताब के तथ्य एवं आंकड़े किताब के संदर्भ के साथ उपयोग किये जाने योग्य

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

प्रथम संस्करण मार्च 2014

प्रकाशक : बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

मुद्रक : प्रिंट मिड़िया सर्विसेज

निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर – 2302012

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं	1
2	श्रमिक सुरक्षा की योजनाएं	3
3	स्वास्थ्य सम्बंधी योजनाएं	4
4	पोषण एवं खाद्य सुरक्षा की योजनाएं	6
5	स्वरोजगार/दस्तकार/कारीगर, महिला व पुरूषों के लिए योजनाएं	7
6	कौशल/हुनर विकास योजनाएं	7
7	आवासीय योजनाएं	8
8	अल्पसंख्यकों (अकलीयतों) के लिए विशेष कार्यक्रम	9
9	महत्वपूर्ण कानून	16

प्रस्तावना

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राष्ट्र की कुल जनसंख्या में 18.4 प्रतिशत धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है जिनमें मुस्लिम 13.4 प्रतिशत, ईसाई 2.3 प्रतिशत, सिक्ख 1.9 प्रतिशत, बौद्व 0.8 प्रतिशत एवं पारसी 0.007 प्रतिशत हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में वर्ष 2001 के अनुसार 10.07 प्रतिशत धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है इसमें मुसलमान 47.88 लाख, सिक्ख 8.18 लाख, ईसाई 0.73 लाख एवं बौद्ध 0.10 लाख हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 2 (सी) के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध व पारसी समुदाय को शामिल किया गया है लेकिन अभी हाल में जैन समुदाय को भी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया है। केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिये 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार ने 2009 में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया है। राज्य सरकार अल्पसंख्यक कल्याण के लिये पिछले कुछ समय से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती आ रही है। लेकिन प्रायः देखने में आया है कि इन योजनाओं में कैसे एवं कहां आवेदन करके कितना लाभ लिया जा सकता है इसकी पर्याप्त जानकारी का अभी भी लोगों में अभाव है।

इसके अलावा जैसा कि बार्क के एक अध्ययन सहित कई अध्ययनों से पता चलता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं का लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाता है।

इस अध्ययन में हमने केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग सहित अन्य कई विभागों के माध्यम से संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी (योजना, पात्रता, लाभ एवं सम्पर्क) को एक पुस्तक में संग्रहित करने का प्रयास किया है। इस अध्ययन से हमारा ध्येय सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी शहरों के साथ दूर दराज तक के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है जिससे अल्पसंख्यक वर्ग तथा अन्य वर्गों के अधिक से अधिक वांछित परिवार एवं व्यक्ति इन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

हम आशा करते हैं यह पुस्तिका अल्पसंख्यक वर्गों के साथ ही अन्य समुदायों के वांछित परिवारों एवं व्यक्तियों के लिये भी उपयोगी साबित होगी।

बार्क टीम

सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं

1. **पेंशन योजना** : पिछले तीन वर्षों से राजस्थान में रहने का प्रमाण पत्र रखने वाले पात्र महिला–पुरूषों को यह पेंशन दी जाती है।

   (i) **वृद्धावस्था पेंशन** : 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष या 55 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित महिला व पुरूषों को यह वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है लेकिन उसके परिवार की वार्षिक आय 48000 रू. से अधिक नहीं हो।

   पात्रता– बी.पी.एल. चयनित परिवार के 65 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक महिला –पुरूष वृद्धावस्था पेंशन पाने के हकदार हैं।

   मिलने वाला लाभ –75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स 500 रू. प्रतिमाह, 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स 750 रू. प्रतिमाह, संयुक्त पेंशन यदि पति एवं पत्नी दोनों 75 वर्ष से अधिक आयु के हों तो 1500 रू. प्रतिमाह, दोनों 75 वर्ष से कम आयु के हों तो 1000 रू. प्रतिमाह, दोनो में से एक 75 वर्ष से अधिक आयु का हो तो 1250 रू. प्रतिमाह पेंशन के हकदार हैं।

   सम्पर्क– ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद कार्यालय।

   जिम्मेदार अधिकारी– ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी।

   (ii) **विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला पेंशन–**सरकार द्वारा किसी भी आयु की विधवा महिला के लिए यह पेंशन दी जाती है। 25 वर्ष से अधिक आयु के लडके की शर्त समाप्त कर दी गई है।

   पात्रता– 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला, जो किसी प्रकार की नौकरी पेशा नहीं है तथा जिसके परिवार की वार्षिक आय 48,000रू. से अधिक नहीं हो।

   मिलने वाला लाभ– 500 रू. प्रतिमाह।

   सम्पर्क– ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद कार्यालय।

   जिम्मेदार अधिकारी– ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी।

   (iii) **विशेष योग्यजन (विकलांग) पेंशन**

   पात्रता– प्रत्येक असहाय एवं विकलांग व्यक्ति जिसके पास मान्य डॉक्टर द्वारा विशेष योग्यजन (विकलांगता) का प्रमाण पत्र हो तथा उसके परिवार की वार्षिक आय 60,000रू. से अधिक नहीं होनी चाहिये।

   मिलने वाला लाभ –500 रू. प्रतिमाह तथा 8 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन (विकलांग) को 250 रू. प्रतिमाह।

सम्पर्क– ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद कार्यालय।

जिम्मेदार अधिकारी– ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी।

सभी प्रकार की पेंशन बैंक खाते में जमा होंगी इसलिए बैंक में खाता अवश्य खुलवायें।

2. **पालनहार योजना–** अनाथ बालक –बालिकाओं के लालन–पालन की व्यवस्था परिवार के ही भीतर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है।

पात्रता–अनाथ बालक, बालिका, विधवा या परित्यक्ता जिन्हें पेंशन लाभ मिल रहा है के बच्चे, आजीवन कारावास/मृत्युदण्ड भोग रहे माता पिता के बच्चे, कुष्ठ या एच.आई.वी. पीड़ित माता–पिता के बच्चे इस योजना में पात्र हैं। यह योजना केवल 2 बच्चों तक ही है तथा 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे आंगनवाड़ी में पंजीकृत हों तथा 6 से 15 वर्ष तक के बच्चे नियमित विद्यालय में अध्ययन कर रहे हों।

मिलने वाला लाभ –1 से वर्ष 5 तक के प्रत्येक बच्चे को 500 रू. प्रतिमाह तथा 6 से 15 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को 1,000 रू. प्रतिमाह तथा 2,000 रू. वर्ष मे एक बार प्रत्येक बच्चे को कपडों आदि के लिए दिये जाते हैं।

सम्पर्क– जिला परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

3. **विधवा पुर्नविवाह उपहार योजना** : विधवा महिला द्वारा पुनः विवाह करने पर लाभ की योजना।

पात्रता – 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की विधवा महिला जो विधवा पेंशन पाने की हकदार हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य 20 वर्ष या उससे अधिक आयु का ना हो ।

मिलने वाला लाभ – 15000रू. की आर्थिक सहायता तथा आवेदन पत्र के प्राप्त होने के बाद 15 दिवस में भुगतान।

सम्पर्क– जिला परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

विधवा महिला की पुत्रियों के विवाह में सहयोग हेतु आर्थिक सहायता योजना : यह योजना राशि केवल 2 कन्या संतान के लिए ही देय है।

पात्रता– विधवा महिला जिसने पुर्नविवाह नहीं किया हो तथा उसके परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई सदस्य नहीं हो। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 20000 रूपये से अधिक की नहीं हो तथा कन्या की आयु 18 वर्ष से कम नहीं हो।

मिलने वाला लाभ– प्रत्येक कन्या (दो से अधिक न हो) की शादी के लिए दस–दस हजार रूपये की सहायता राशि (विवाह से 6 माह पूर्व व 6 माह पश्चात तक आवेदन आवश्यक) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त 10वीं पास को 5 हजार अतिरिक्त यानि 15 हजार तथा स्नातक पास को 10 हजार रूपये अतिरिक्त यानि 20 हजार रूपये दिये जायेंगे।

सम्पर्क– सरपंच/वार्ड पार्षद की अनुशंषा (सिफारिश)पर, जिला परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

श्रमिक सुरक्षा की योजनाएं

1. **स्वावलम्बन योजना –** गैर संगठित मजदूरों को बुढापे में पेंशन का लाभ मिले इसके लिये यह योजना लाभदायी है। इसमें सरकार 1000 रू. तक की राशि बैंक में जमा करवाती है और इतनी ही राशि मजदूरों को जमा करानी पड़ती है।

   पात्रता–प्रत्येक असंगठित क्षेत्र का मजदूर जो अधिकतम 50 वर्ष की आयु वर्ग तक का हो, तथा किसी प्रकार की अन्य पेंशन नहीं लेता हो।

   मिलने वाला लाभ– बचत करके एक वर्ष में बैंक खाते में कम से कम 1000 रू. जमा कराने पर सरकार भी 1000 रू. का योगदान देती है। इस राशि पर बैंक ब्याज भी देता है। 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु में जमा रकम को 60 वर्ष का होने के बाद पेंशन लाभ के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

   सम्पर्क– जिला श्रम विभाग कार्यालय।

2. **मुख्यमंत्री बी.पी.एल जीवन रक्षाकोष योजना**– यह योजना राज्य के ऐसे बी.पी.एल. परिवार/ विधवा/वृद्धजन/निशक्तजन (विकलांग) पेंशनर्स जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं उनके लिए है। इस योजना के अन्तर्गत आउटडोर एवं इनडोर चिकित्सा की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती है।

   पात्रता– वे बी.पी.एल. तथा गैर बी.पी.एल. परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम है।

   मिलने वाला लाभ –असाध्य बीमारी के इलाज के लिए खर्चे का 40 प्रतिशत, अधिकतम 60 हजार रूपये।

   सम्पर्क– जिला चिकित्सालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय।

3. **पन्नाधाय जीवन अमृत येाजना (जनश्री बीमा येाजना)**– गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ पहुॅचाने के लिए प्रीमियम राशि 100 रू. रखी गई है।

   पात्रता– सभी वर्ग के बी.पी.एल. परिवार।

   मिलने वाला लाभ –परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार रू. दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार रू. तथा बीमित सदस्य के कक्षा 9 से 12 तक के दो बच्चों को 100 रू. प्रतिमाह की छात्रवृति भी देय है।

   सम्पर्क– ग्रामीण क्षेत्र विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पालिका का अधिशाषी अधिकारी।

4. **निराश्रित सम्बल योजना** – बेसहारा, वृद्ध एवं विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना संचालित की जा रही है।

   पात्रता –बेसहारा या अत्यन्त दयनीय परिस्थितियों में रह रहे वे व्यक्ति जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं हो।

   मिलने वाला लाभ– अधिकतम 2000 रू. केवल एक बार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

   सम्पर्क– सादा कागज पर जिला कलेक्टर को आवेदन किया जाता है तथा सन्तुष्ट होने पर पंचायत समिति/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका से भुगतान।

स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं

1. **जननी शिशु सुरक्षा योजना–** जच्चा–बच्चा की पूर्ण सुरक्षा, गर्भवती का पंजीयन, प्रसव पूर्व उचित देखभाल व सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

   पात्रता– सभी संस्थागत (अस्पताल में) प्रसव कराने वाली महिलाएं व 1 माह तक के बच्चे।

   मिलने वाला लाभ –प्रत्येक गर्भवती महिला की नियमित निःशुल्क जॉच तथा संस्थागत प्रसव कराने वाली महिला को सभी सरकारी व मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अस्पतालों से 1000 रू. प्रसव के समय तत्काल भुगतान तथा 1 माह तक मॉ व बच्चे की निःशुल्क देखभाल। बी.पी.एल. महिलाओं को घरेलू प्रसव पर भी 500 रू. का लाभ दिया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क रक्त सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है।

   सम्पर्क– अपने क्षेत्र की आंगनबाडी कार्यकर्ता, आशा, ए.एन.एम. तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।

2. **मातृत्व लाभ प्रसूति सहायता योजना–**गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं को पहली व दूसरी सन्तान होने तक 500 रू. की नकद राशि प्रसूति सहायता के रूप में देखभाल हेतु दी जाती है।

   पात्रता –बी.पी.एल. परिवार की 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाएं जो स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसूति हेतु पंजीकृत हैं।

   मिलने वाला लाभ – बी.पी.एल. परिवार की गर्भवती महिला को पहली एवं दूसरी संतान पर 500 रू. की नगद राशि दी जाती है।

   सम्पर्क – सभी स्वास्थ्य केन्द्र एवं राजकीय अस्पताल

3. **मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना** : सभी वर्ग के सभी मरीजों के लिए राजकीय अस्पताल में निःशुल्क दवाइयां एवं जांच की सुविधा उपलब्ध करवाना।

पात्रता – सभी वर्ग के मरीज, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष का लाभ लेने वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

मिलने वाला लाभ – सभी प्रकार की दवाइयॉ एवं जांच की सुविधा निःशुल्क प्राप्त होगी।

सम्पर्क– सभी राजकीय अस्पताल

4. **मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना** : राज्य में घटता लिंगानुपात एक चिन्ता का विषय है, इस समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना शुरू की गई है।

   पात्रता – 2 लाख रुपये वार्षिक आय तक के परिवार, जिनके 1 अप्रेल 2013 के बाद यदि गर्भवती महिला तीन एएनसी (Antanetal Care) विजिट कर संस्थागत प्रसव से बालिका को जन्म देती है तथा इन परिवारों में जन्म लेने वाली बालिका को मिलाकर 2 से अधिक संतान नहीं हों।

   मिलने वाला लाभ – बालिका के जन्म पर 2100 रू. बालिका की आयु 1 वर्ष होने तथा टीकाकरण संबंधी नियम पूरे होने पर 2100 रू. तथा बालिका की आयु 5 वर्ष होने एवं स्कूल में प्रवेश लेने पर 3100 रु. की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

   सम्पर्क– सभी राजकीय अस्पताल।

5. **आंगन बाड़ी**– 6 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं व किशोरियों को स्वस्थ्य बनाये रखने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। यहाँ बच्चों को पूरक आहार, माताओं व किशोरियों को आवश्यक दवाईयां जैसे आयरन की गोलियां, ओ.आर. एस. का घोल आदि निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है।

   पात्रता– सभी 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे, सभी माताएं एवं किशोरियॉ।

   मिलने वाला लाभ– यहाँ बच्चों को पोषाहार, एवं स्कूल जाने से पूर्व शिक्षा व खेलकूद की सुविधा दी जाती है। किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कर सामान्य दवाएं, ओ.आर.एस. घोल एवं पोषक आहार उपलब्ध कराया जाता है। बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी किया जाता है। सभी बच्चों का महीने में एक बार वजन लेकर ग्रोथ कार्ड पर दर्ज किया जाता है। स्वास्थ्य दिवस (एम.सी.एच.एन. डे) पर टीकाकरण भी किया जाता है।

   सम्पर्क– अपने क्षेत्र का आंगनबाडी केन्द्र।

राशन कार्ड

राशन कार्ड सभी के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है, राशन कार्ड बनवाने के लिये ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद से सम्पर्क करें। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका का अधिशाषी अधिकारी होता है।

पोषण एवं खाद्य सुरक्षा की योजनाएं

1. **मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना –**इस योजना के तहत बी.पी.एल. ,स्टेट बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। अन्त्योदय अन्न योजना इस योजना के अन्तर्गत ही आती है।

   पात्रता–इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अति गरीब परिवार पात्र हैं। वे गरीब बी.पी.एल. परिवार जिनके पास पीले रंग का राशन कार्ड है।

   मिलने वाला लाभ– चयनित परिवारों को राशन की दुकान से 25 किलोग्राम गेहूँ प्रति माह 1 रू. प्रतिकिलो तथा चावल 3 रू प्रतिकिलों की दर से दिया जाता है। अन्त्योदय परिवार को 35 किलोग्राम गेहूँ दिया जाता है।

   सम्पर्क– सम्बन्धित राशन की दुकान।

2. **अन्नपूर्णा अन्न योजना**– इस योजना में 10 किग्रा गेहूँ प्रतिमाह मुफ्त दिया जाता है।

   पात्रता– असहाय वृद्ध व्यक्ति, जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है।

   मिलने वाला लाभ– पात्र व्यक्ति को 10 किलोग्राम गेहूँ प्रतिमाह मुफ्त में मिलते हैं।

   सम्पर्क– सम्बन्धित राशन की दुकान।

3. **ए.पी.एल. खाद्य योजना–** भारत सरकार से ए.पी.एल. परिवारों के लिए राज्य को प्राप्त खाद्यान्न आवंटन के अनुरूप वितरण किया जाता है।

   पात्रता– ए.पी.एल. चयनित परिवार।

   मिलने वाला लाभ– प्रत्येक परिवार को 10 किलोग्राम गेहूँ/चावल प्रतिमाह 5रू. प्रति किग्रा की दर में आवंटित किया जाता है।

   सम्पर्क– ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद कार्यालय।

4. **मिड डे मील**– यह राज्य के कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 यानि प्राइमरी व मिडिल स्तर तक के सभी सरकारी स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन देने की योजना है।

   पात्रता– कक्षा 1 से 8वीं तक सरकारी स्कूलों में पढने वाले सभी विद्यार्थी।

   मिलने वाला लाभ – निर्धारित मेन्यू के अनुसार प्रतिदिन पका हुआ गर्म भोजन जिसमें, दाल–बाटी, सब्जी रोटी, खिचडी, दलिया, मीठे चावल आदि दिया जाता है। सप्ताह में एक दिन मौसमी फल या स्थानीय भोजन भी उपलब्ध करवाया जाता है।

महत्वपूर्ण नोट : वर्तमान में संचालित की जा रही खाद्य सुरक्षा की उपरोक्त योजनाओं का स्वरूप अब बदला जा सकता है। क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने 'खाद्यय सुरक्षा की गारंटी अध्यादेश 2013' पारित किया है। इस कानून के तहत ना केवल राशन प्रणाली को रखा गया है बल्कि मध्यान्ह भोजन तथा आंगनबाड़ी योजना को भी कानूनी रूप दिया गया है। इस कानून की संक्षिप्त जानकारी 'महत्वपूर्ण कानून' शीर्षक के अंतर्गत दी गई है।

स्वरोजगार/दस्तकार/कारीगर, महिला व पुरूषों के लिए योजनाएं

1. **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना** – इस योजना में शहरी गरीबों (बी.पी.एल. चयनित परिवारों) को लाभान्वित कराया जाता है। योजना के अन्तर्गत आवेदक को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

   पात्रता –चयनित बी.पी.एल. परिवार

   मिलने वाला लाभ– स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रूपये तक बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा कुल खर्च की 5 प्रतिशत राशि लाभार्थी द्वारा स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करवाई जाती है। इस योजना में 25 प्रतिशत/अधिकतम 50,000 हजार रू. अनुदान/छूट का प्रावधान रखा गया है।

   सम्पर्क– नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका कार्यालय।

2. **महिला स्वयं–सहायता कार्यक्रम–** इसके अन्तर्गत महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाकर अपना रोजगार शुरू किया जा सकता है। एक समूह में कम से कम पांच महिलाओं का होना आवश्यक है।

   पात्रता– बी.पी.एल. चयनित परिवार की कम से कम पांच महिला सदस्यों का समूह बनाया जा सकता है।

   मिलने वाला लाभ– एक समूह को 3 लाख रूपये या परियोजना लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 60 हजार रूपये प्रति सदस्य में से जो भी कम हो, वह राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। राशि बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूह को ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

   सम्पर्क– पंचायत समिति/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका।

3. **शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगार शहरी गरीबों को मजदूरी उपलब्ध कराकर सरकार द्वारा सार्वजनिक सम्पतियों का निर्माण करवाया जाता है।

   पात्रता–बी.पी.एल. चयनित परिवार के श्रमिक ।

   सम्पर्क– राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम।

कौशल/हुनर विकास योजनाएं

1. **मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना**– सरकारी एवं अनुदानित शिशु गृहों/बाल गृहों/नारी निकेतनों में रहने वालों को समाज की मुख्य धारा में लाने, स्वावलम्बी बनाने एवं कौशल विकास प्रदान करने के लिए यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में व्यवसायिक, तकनीकी, उच्च शिक्षा एवं स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करवाई जाती है। इसके अन्तर्गत उन्हें इच्छित रोजगारोन्मुखी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

उपलब्ध कराकर उपकरण एवं कच्चा माल क्रय करने के लिए एकमुश्त राशि भी उनके बचत खाते में जमा कराई जाती है।

पात्रता –17 से 21 वर्ष की आयु के सभी बालक बालिकाएं जो बालगृहों में रह रहे हों या पालनहार योजना के लाभार्थी हैं।

मिलने वाला लाभ– 50,000 रूपये तक की राशि एकमुश्त।

सम्पर्क– जिला परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

2. **शहरी गरीबों को रोजगार के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण** –इसके अन्तर्गत स्वयं का रोजगार चलाने अथवा अच्छे रोजगार के अवसर दिलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. रोजगार योजना भी इसके अन्तर्गत ही आती है।

पात्रता– बी.पी.एल. एवं गरीब युवक/युवतियां।

मिलने वाला लाभ– प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों पर सरकार प्रति व्यक्ति अधिकतम 10 हजार रूपये खर्च करती है। इसमें लागत सामग्री, टूल किट, प्रशिक्षण फीस तथा प्रशिक्षण लेने वाले का मानदेय शामिल है। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं का रोजगार भी शुरू किया जा सकता है।

सम्पर्क– जिला उद्योग अधिकारी।

आवासीय योजनाएं

1. **राजीव आवास योजना**– राज्य सरकार द्वारा जिन कच्ची बस्तियों का 15 अगस्त 2009 तक सर्वे किया जा चुका है उन्हें कम कीमत पर सुविधायुक्त आवास उपलब्ध करवाने के लिये यह योजना संचालित की जा रही है।

   पात्रता– कच्ची बस्ती में रहने का 15 अगस्त 2009 से पहले का प्रमाण जैसे फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली/पानी का बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।

   मिलने वाला लाभ–कच्ची बस्तियों में रहने वालों को सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सुविधाजनक आवास।

   सम्पर्क– जे.डी.ए. (जयपुर विकास प्राधिकरण) मोती डूंगरी, बिडला मंदिर के सामने, जयपुर।

2. **मुख्यमंत्री ग्रामीण एवं शहरी बी.पी.एल. आवास योजना** – ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों को मकान व शौचालय निर्माण हेतु 70 हजार रूपये तथा 5 हजार रूपये, कुल 75 हजार रू. सरकार द्वारा दिये जाते हैं ।

   पात्रता – ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाला बी.पी.एल. चयनित परिवार, आवासहीन परिवार, शहरी गरीब जिनके पास कच्चे आवास उपलब्ध हैं तथा वे शहरी गरीब जिनके पास 25 वर्ग मीटर तक का पक्का मकान है।

मिलने वाला लाभ – 75 हजार रूपये की राशि मकान व शौचालय बनवाने के लिए सरकार द्वारा दी जाती है अर्थात इसे वापिस जमा नहीं कराना पड़ता है।

सम्पर्क– पंचायत समिति/नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका कार्यालय।

अल्पसंख्यकों (अकलीयतों) के लिए विशेष कार्यक्रम

प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम– इस कार्यक्रम के अंर्तगत विभिन्न उद्देश्यों के अनुरुप 15 कार्यक्रमों का संचालन किए जाना तय किया गया है जो कि इस प्रकार हैं–

- **शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना** : (1) एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। (2) विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना। (3) उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध करवाये जाना (4) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण करना (5) अल्पसंख्यक वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति (6) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम में शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करना।
- **आर्थिक कार्य कलापों एवं रोजगार में समुचित हिस्सेदारी** : (7) गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना (8) तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन (9) आर्थिक क्रिया– कलापों को बढ़ावा देने के लिए ऋण सहायता प्रदान करना (10) राज्य एवं केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती।
- **अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना** : (11) ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी (12) अल्पसंख्यक वर्गोंवाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार करना।
- **सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम एवं नियंत्रण** : (13) सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम (14) सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन (15) सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास।

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृति

प्रतिष्ठित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को 1000 रु.प्रतिमाह की छात्रवृति उपलब्ध कराई जाती है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रु. तक की है।

1 मैट्रिक पूर्व छात्रवृति– अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में पढने वाले विद्यार्थियों को एक शिक्षण सत्र में 10 माह के लिए यह छात्रवृति प्रदान की जाती है। यह एक परिवार के दो बच्चों तक ही देय है।

पात्रता– 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रू. से अधिक नहीं हो।

मिलने वाला लाभ– कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को 100रू. प्रतिमाह, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को अनुरक्षण भत्ता 600रू. प्रतिमाह, 500रू. प्रवेश शुल्क तथा शिक्षण शुल्क वास्तविक या 350रू. प्रतिवर्ष देय है। छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थियों को अनुरक्षण भत्ता 100रू. प्रतिमाह, 100रू. प्रतिमाह छात्रवृति, 500रू. प्रवेश शुल्क तथा शिक्षण शुल्क वास्तविक या 350रू. प्रतिवर्ष दिया जाता है।

सम्पर्क– सम्बन्धित विद्यालय एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

2 उत्तर मैट्रिक छात्रवृति– अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 11 से 12 तक के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में तथा कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में पढने वाले विद्यार्थियों को यह छात्रवृति प्रदान की जाती है। यह एक परिवार के दो बच्चों तक ही देय है।

पात्रता– 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रू. से अधिक नहीं हो।

मिलने वाला लाभ–

- कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को दाखिला तथा शिक्षण शुल्क के लिए अधिकतम 7000रू. प्रतिवर्ष, कक्षा 11 व 12 स्तर के तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विधार्थियों हेतु दाखिला तथा शिक्षण शुल्क के लिए अधिकतम 10,000रू. प्रतिवर्ष दिये जाते हैं।

- स्नातक तथा स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क के लिए अधिकतम 3000रू. प्रतिवर्ष, एक शिक्षण सत्र में 10 माह के लिए अनुरक्षण भत्ता 355 रू. प्रतिवर्ष छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिये तथा 185रू. अनुरक्षण भत्ता प्रतिवर्ष छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थियों को दिया जाता है।

- वे विद्यार्थी जो छात्रावास में रहकर एम.फिल/पीएच.डी. कर रहे हैं तथा जिन्हें कोई फेलोशिप नहीं मिल रही है, ऐसे विद्यार्थियों को 510रू. तथा छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थियों को 330रू. की राशि प्रतिमाह दी जाती है।

सम्पर्क– सम्बन्धित विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

3 मौलाना आजाद फैलोशिप– यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से एम.फिल/पीएच.डी./जे.आर.एफ./एस..आर.एफ करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को यह फैलोशिप दी जाती है।

पात्रता– स्नातकोत्तर परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जिनका एम.फिल/पीएच.डी. में प्रवेश हो गया है।

मिलने वाला लाभ–

- जे.आर.एफ.– 12,000 रू. प्रतिमाह 2 वर्ष के लिए
- एस..आर.एफ– 14,000 रू. प्रतिमाह 2 वर्ष के लिए
- एम.फिल कला व वाणिज्य वर्ग– 10,000 रू. प्रतिवर्ष, 2 वर्ष के लिए
- एम.फिल कला व वाणिज्य वर्ग– 10,000 रू. प्रतिवर्ष, 2 वर्ष के लिए
- पीएच.डी. कला व वाणिज्य वर्ग– 20,500 रू. प्रतिवर्ष, 3 वर्ष के लिए
- एम.फिल विज्ञान व इंजिनियरिंग– 12,000 रू. प्रतिवर्ष, 2 वर्ष के लिए
- पीएच.डी. विज्ञान व इंजिनियरिंग– 25,000 रू. प्रतिवर्ष, 3 वर्ष के लिए

4 **उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक युवाओं के लिये मकान किराया पुर्नभरण योजना–** राजस्थान मूल के अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन एवं मेधावी छात्र/छात्राएं जो राजस्थान से बाहर रहकर उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेकर अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें इस योजना के द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

पात्रता– ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक नहीं हो तथा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की उच्च शिक्षण संस्थाओं जैसे – IIT, IIM, राजकीय इंजीनियरिंग तथा मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया हो तथा पूर्व परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हों।

मिलने वाला लाभ– एक हजार रूपये प्रतिमाह की दर से मकान किराया का पुनर्भरण किया जाता है।

सम्पर्क– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

अल्पसंख्यक युवाओं को उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्थिक सहायता योजना – इस योजना का उद्देश्य राजस्थान मूल के अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन एवं मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हताएं :–

1. माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आवेदक अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी, जैन व बौद्ध) से हो।
3. इस योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जायेगा जो पूर्व अन्तिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हों।
4. इस योजना का लाभ राष्ट्रीय स्तर की उच्च शिक्षण संस्थाओं जैसे – IIT, IIM, राजकीय इंजीनियरिंग तथा मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को ही मिलेगा।
5. आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ फीस की मूल रसीद संलग्न करनी होती है।
6. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।

योजना के आवेदन की प्रक्रिया :–

1. योजना के आवेदन का प्रारूप समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध होगा। उक्त फॉर्म वेबसाईट www.minorityaffairs.rajasthan.gov.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
2. आवेदनकर्ता आवेदन पत्र को अपने गृह जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जमा करायेंगे।
3. आवेदन पत्र के साथ मांगे गये दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है।

योजना का लाभः– अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राएं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की उच्च शिक्षण संस्थाओं जैसे– IIT, IIM, राजकीय इंजीनियरिंग तथा मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, उन्हें कॉलेज फीस का अधिकतम एक लाख रूपये प्रतिवर्ष का पुनर्भरण अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जायेगा।

अनुप्रति योजना–अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियो के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं, संघ लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

पात्रता–जिनके माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यार्थी की आय को सम्मिलित करते हुये) यदि 2 लाख रुपये से अधिक न हो। प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के दिनांक से तीस दिन तक अभ्यार्थी द्वारा मूल दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

मिलने वाला लाभ–

संघ लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु :–प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 65,000रू., मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000 रू. तथा साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर 5,000 रु.।

राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु :–प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 25,000 रू., मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20,000 रू. तथा साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूपये चयन) होने पर 5,000 रु. की राशि दी जाती है।

अभ्यार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि वह इस राशि का उपयोग मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु ही करेगा।

सम्पर्क–जिलाधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।

अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा ऋण : – यह योजना अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब व्यक्तियों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है यह स्वरोजगार तथा रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिये रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना है।

शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत अधिकतम 5 वर्ष की अवधि वाले राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा उनकी किसी ऐजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम 2.50 लाख रूपये (प्रति वर्ष 50,000 रूपये से अधिक नहीं) तक का ऋण 16 से 32 वर्ष तक के आवेदकों जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय शहरी क्षेत्र में 55,000 रू. एवं ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 रू. से कम हो, को उपलब्ध कराया जाता है। इस शैक्षिक ऋण पर 3 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है। ऋण का पुनर्भुगतान पाठ्यक्रम पूर्ण करने के 6 माह अथवा रोजगार प्राप्त होने, जो भी पहले हो, से करना होता है।

सम्पर्क– जिला अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.।

व्यावसायिक विशेष प्रशिक्षण योजना– अल्पसंख्यक परिवारों के युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी गतिविधी हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

क्र. सं.	प्रशिक्षण	अवधि	योग्यता
1	राज मिस्त्री मेसन	2 माह	साक्षर
2	सरिया मिस्त्री	2 माह	साक्षर
3	शटरिंग कारपेन्टर	2 माह	10 वीं पास
4	लैब टैक्नीशियन	3 माह	12 वीं पास
5	क्वान्टिटी सर्वेयर	3 माह	12 वीं पास
6	डीजल मैकेनिक	3 माह	साक्षर
7	स्टोर कीपर	3 माह	12 वीं पास
8	लैण्ड सर्वेयर	3 माह	12 वीं पास
9	इलैक्ट्रीकल वायरमैन	3 माह	12 वीं पास
10	साइड एकाउन्टेन्ट	3 माह	12 वीं पास
11	जनरल वर्क्स सुजरवाइजर	3 माह	12 वीं पास
12	सेफ्टी इंस्पेक्टर	3 माह	12 वीं पास
13	डाफ्टमैन सिविल	4 माह	12 वीं पास

संलग्न–बी.डी.ओ. अथवा सरपंच/पार्षद से प्रमाणित आयु प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, मूलनिवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा 3 रंगीन पासपोर्ट साइज के फोटो।

सम्पर्क–अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार तथा निर्माण उद्योग विकास परिषद्।

अल्पसंख्यकों के लिए कारोबारी ऋण : – राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. जयपुर की स्थापना राजस्थान सरकार व भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है। अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब व्यक्तियों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तथा रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिये रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु यह संस्थान कार्य कर रहा है।

निगम का उद्देश्य सीमित संसाधनों से अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। अतः कुल ऋण लक्ष्यों के 60 प्रतिशत तक ऋण एक लाख रूपये से कम परियोजना लागत की योजनाओं हेतु ही दिये जाते है। यद्यपि 5 लाख रूपये तक की लागत वाली राष्ट्रीय निगम द्वारा पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। अनुमोदित परियोजना लागत का 85 प्रतिशत ऋण एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा, 10 प्रतिशत ऋण आर.एम.एफ.डी.सी.सी. द्वारा तथा परियोजना लागत का 5 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। लाभार्थी से लिए जाने वाले ब्याज की दर घटते हुए शेष मूलऋण पर 6 प्रतिशत वार्षिक है तथा समय पर किश्तों का भुगतान करने वाले ऋणियों को माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार 2 प्रतिशत ब्याज में छूट दी गई है। महिला कारोबारी ऋणी को समय पर पूर्ण वसूली राशि जमा कराने पर सम्पूर्ण ब्याज से छूट देने का प्रावधान है।

लक्षित वर्ग :–

अल्पसंख्यक समुदायों के वे लोग, जिनकी आय ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिवर्ष 40,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 55,000 रूपये से कम हो। आवधिक ऋण हेतु आयु 54 वर्ष एवं शैक्षिक ऋण हेतु 32 वर्ष से अधिक न हो तथा आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।

सम्पर्क– जिला अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.

इस आवधिक ऋण योजना के अधीन किसी भी व्यापारिक रूप से लाभप्रद तथा तकनीकी रूप से व्यवहार्य उद्यम को सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, सुविधा के लिए इसे निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है :–

क.सं.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	लधु व्यवसाय क्षेत्र
1	भैंस, गाय डेयरी यूनिट	ऑयल एक्सपेलर
2	खाद बीज दवाई की दुकान	आभूषण की दुकान
3	कृषि उपकरण	आटा चक्की
4	कुँआ गहरा कराने हेतु	फल/सब्जी दुकान
5	डीजल पम्प	बर्तन की दुकान
6	पोल्ट्री फार्म	बिजली सामान की दुकान
7	ट्रेक्टर	भवन निर्माण सामग्री
8	हस्तकला एवं सम्बद्ध क्षेत्र	बुक डिपो/स्टेशनरी शॉप

आपके परिवार में होने वाले जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अवश्य कराएं

जन्म–मृत्यु पंजीकरण कब व कहां–

- प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम मुख्यालय पर जन्म–मृत्यु का पंजीकरण करवाया जा सकता है।
- जन्म/मृत्यु की सूचना जन्म या मृत्यु के 21 दिन के अन्दर देकर यह प्रमाण पत्र निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- 21 दिन के पश्चात परन्तु 30 दिन के भीतर सूचना देने पर 1 रुपया विलम्ब शुल्क जमा करवाकर प्रमाण पत्र निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- 30 दिन से अधिक परन्तु 1 वर्ष के भीतर स्थानीय रजिस्टार के यहां सूचना दी जाती है तो उसके लिए निर्धारित प्रारुप में नॉटेरी से तस्दीकशुदा शपथ–पत्र देना होगा।
- एक वर्ष के पश्चात पंजीयन स्थानीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से ही करवाया जा सकेगा।

महत्वपूर्ण कानून

अपने अधिकार या अपने हित में बनाई गई योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर निम्नलिखित कानूनों/अधिकारों का उपयोग करें :

1. **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार**– इस कानून के अनुसार 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को आस–पास के स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा निशुल्क मिलेगी। इसके लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। कभी स्कूल ना जाने वाले या बीच में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को भी उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिलेगा। यह सुविधा सरकारी व गैर सरकारी (प्राइवेट) मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों में है।

2. **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**– इस अधिनियम से अपने अधिकारों या हितों में बनाई गई योजनाओं के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त की जा सकती है।

    1. सूचना चाहने वाला व्यक्ति निर्धारित फीस 10 रू. सहित आवेदन कर सकता है। सूचना क्यों चाहिए, इसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।
    2. मांगी गई सूचना की जानकारी संबंधित विभाग द्वारा 30 दिवस में उपलब्ध करवाना आवश्यक है। सूचना यदि बड़ी है तो आवेदक को 2 रू. प्रति पेज के हिसाब से शुल्क चुकता करना पड़ेगा।
    3. कोई भी सूचना साधारण कागज पर लिखकर मांगी जा सकती है।
    4. सूचना नहीं मिलने पर अपील की जा सकती है।

3. **राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011**

    लोग अपनी शिकायतों को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं परन्तु उन्हें कहीं भी राहत नहीं मिलती इस परेशानी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा की अदायगी की गारन्टी कानून बनाया है इसके अन्तर्गत निश्चित समय सीमा में आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन का निस्तारण करना आवश्यक है।

    ध्यान देने योग्य बातें–

    1. आवेदक को जन सुनवाई अधिकारी को फार्म 1 भरकर या सादे कागज पर अपनी शिकायत का प्रार्थना पत्र देना होगा। आवेदक से सुनवाई का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
    2. सेवा नियत समय में उपलब्ध करवाई जायेगी। सेवा उपलब्ध करवाने में 21 दिवस से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए।
    3. यदि किसी कारणवश आवेदन निरस्त किया गया है, तो उसमें कारण लिखकर विभाग अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना देने का प्रावधान है।
    4. सेवा उपलब्ध नहीं हाने पर अपील की जा सकती है।

4. राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012

- **लोक सुनवाई सहायता केन्द्रों LSSK की स्थापना–** ग्रामीण क्षेत्रों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र तथा शहरी क्षेत्रों में एकल खिडकी, जिला कलेक्टर कार्यालय में एवं पंचायत समिति तथा जिला परिषद स्तर पर बने राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर काउन्टर बनाये गये हैं, जहां किसी भी प्रकार के परिवाद/शिकायत हेतु प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है तथा उक्त अधिकारी द्वारा परिवाद प्राप्त करने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

- **परिवाद प्राप्त करने का समय–** सुबह 10 से 12 बजे तक परिवाद प्राप्त करने की व्यवस्था है। परिवाद निधारित प्रारूप या सादे कागज पर प्रस्तुत किया जा सकता है। परिवाद प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है।

- **परिवाद का पंजीकरण–** प्रत्येक परिवाद पर एक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक Unique Registration Number दिया जायेगा तथा रसीद पर नम्बर अंकित किया जाएगा, इसके अलावा परिवाद को सुनने की तारीख तथा सुनवाई करने वाले अधिकारी का नाम भी लिखा जाएगा।

- **त्रिस्तरीय सुनवाई की व्यवस्था–** परिवादी को सात दिन के भीतर इस संबंध में सूचित किया जाएगा। 12 बजे से 3 बजे तक प्रत्येक शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिव, उपपखण्ड/तहसील स्तर पर उपखण्ड अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे।

- **अपील–** निर्धारित समयावधि में सुनवाई नहीं होने पर 30 दिन में प्रथम अपील तथा उसके बाद द्वितीय अपील का प्रावधान है। यदि सुनवाई पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो सम्बन्धित अधिकारी से 500 से 5000 रु. तक जुर्माना वसूला जाएगा।

5. **खाद्यय सुरक्षा की गारंटी अध्यादेश 2013** – इस कनून के अंतर्गत भारत सरकार ने जनता को पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने का वादा किया है। इस कानून में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज हर महीने 1–3 रूपये प्रति किलो की कीमत पर दिये जाने का प्रावधान है।

- **पात्रता –** इस कानून में लाभान्वितों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की होगी तथा देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी व 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को हर माह तीन रूपए, दो रूपए, एक रूपए प्रति किलो चावल, गेंहू और मोटा अनाज पाने का अधिकार होगा। अति गरीब परिवार को हर माह अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 35 किलो अनाज दिया जायेगा। इस कानून में गरीब महिलाओं तथा बच्चों के लिये पात्रता के विशेष प्रावधान भी रखे गये हैं।
- **पारदर्शिता तथा जवाबदेही :–** कानून में दो स्तरीय शिकायत निवारण ढ़ांचे का उल्लेख है। इसमें जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डीजीआरओ) और राज्य खाद्य आयोग

शामिल हैं। राज्य सरकारों को अपना अंदरूनी शिकायत तंत्र भी बनाना होगा जिसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति या कानून में उल्लेखित किसी और तरह का तंत्र शामिल है।

- **खाद्य आयोग** :– कानून में राज्य खाद्य आयोगों के गठन का प्रावधान है। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, पांच अन्य सदस्य एवं एक सदस्य सचिव का प्रावधान रखा गया है। राज्य आयोग का मुख्य काम अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन का रहेगा तथा वह राज्य सरकार एवं उसकी एजेंसियों को सलाह देंगे और पात्रता उल्लंधन के मामलों में पूछताछ कर सकेंगे।
- **जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र** – राज्य तथा जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जायेगी तथा हर जिले में डीजीआरओ की नियुक्त की जायेगी, जो शिकायतों को सुनेगा और सरकार के नियमों के तहत कार्रवाई करेगा।
- **दंड और मुआवजा** :– जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की अनुपालना न करने पर दोषी पाए जाने वाले अधिकारी पर 5000 रू तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान कानून में रखा गया है। यदि केन्द्र सरकार के कहे अनुसार, पात्र व्यक्तियों को निर्धारित मात्रा में अनाज या आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो राज्य सरकार को निर्धारित खाद्य सुरक्षा भत्ता उन्हें देना होगा।

बार्क के अन्य प्रकाशनों की सूची

शीर्षक	Title in English	प्रकाशन तिथि
राजस्थान में जेण्डर संवेदी बजट : एक अध्ययन	Gender Responsive Bduget in Rajasthan: A Study	नवम्बर 2013
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः एक अध्ययन	Rastriya Krishi Vikas Yojna : A Study	नवम्बर 2013
पंचायत बजट मैन्युअल	Panchayat Budget Manual	सितम्बर 2012
दक्षिणी राजस्थान में शिक्षा का अधिकार : एक अध्ययन	Right To Education In Southern Rajasthan : A Study	फरवरी, 2012
बजट को वंचित समुदायों की हकदारी से जोड़ने के प्रयास	Linking Budgets To The Concerns Weaker Sections	2012
राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति	Rajasthan : A Study of State Finances	फरवरी, 2012
भारत में राज्य बजट में पारदर्शिता : मुख्य परिणाम	Transparency in State Budget in India : Summary Fact Sheet	2011
भारत में राज्य बजट में पारदर्शिता : राजस्थान	Transparency in State Budget in India : Rajasthan	2011
बजट अध्ययनः एक परिचय	Budget Study: An Introduction	अगस्त, 2010
राज्य में खाद्य सुरक्षा एवं सम्बन्धित योजनाएं : एक अध्ययन	Food Security and Related Schemes in the State: A Study	अगस्त, 2010
कृषि ऋण–कितना सार्थक ?	Agriculture Loan: How Good	जून, 2010
लुप्त होती लघुवन उपज : खतरे में आदिवासी आजीविका	Depleting Mining Forest Produce: Threat to Tribal Livelihood	दिसम्बर, 2009
दलितों के लिए राज्य की कल्याणकारी योजनाएं	State's Welfare Schemes for Dalits	जून, 2009
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून : क्रियान्वयन में सुधार की आव यकता	NREGA: Need of Reform in Implementation	दिसम्बर, 2008
स्वजलधारा : व्यर्थ बहा जनता का पैसा	'Swajal Dhara': People's Money Drained	जुलाई, 2008
ग्रामीण लघु उद्योग क्षेत्र में सरकारी प्रयासों की कथनी–करनी : एक नजर	Reality of Government Efforts in Small Industry Sector: A Study	अप्रेल, 2008
सरकारी विकास योजनाऐं और आम आदमी तक उनकी पहुंचः एक आंकलन	Government Development Schemes and their reach to common People: An Assessment	दिसम्बर, 2007
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राज्य के बजट से)	Spending on Social Sector (From State Budget)	मार्च, 2007
राजस्थान में विधवाओं का अभावग्रस्त जीवन : राज्य ने क्या भूमिका निभाई?	The Destitution of Widows in Rajasthan: What role has the state played?	फरवरी, 2007
स्थानीय स्तर पर लिंग आधारित बजट (जेण्डर बजट) : कैसे करेंगे पैरवी	Gender Budget at State Level: How to do Advocacy	दिसम्बर, 2006
दलित, गरीब तथा वंचित लोगों के लिए समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज विभाग एवं खाद्य–नागरिक आपूर्ति विभाग की कल्याणकारी योजनाएं	Welfare Schemes for Dalits, Poor and Marginalised	नवम्बर, 2006
राजस्थान में फसल बीमा : सुधार की आव यकता	Crop Insurance in Rajasthan: Need of Improvement	सितम्बर, 2006
बजट की तकनीकी शब्दावली	Budget Terminologies	सितम्बर, 2006
दलित एवं आदिवासियों के लिए बजट एवं योजनाएं	Budget and Schemes for Dalits and Tribals	नवम्बर, 2005
गरीबी हटाओ अभियानः कितना सफल–कितना असफल	'Gharibi Hatao': How Successful	

बार्क टीम : **डॉ. नेसार अहमद**
महेन्द्र सिंह राव
भूपेन्द्र कौशिक
बरखा माथुर
अंकुश वर्मा

सलाहकार : डॉ. जिनी श्रीवास्तव

"Budget Links Policy to People and People to Policy"

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)
फोन / फैक्स : 0141 – 238 5254
ई–मेल : info@barcjaipur.org
वेबसाईट : www.barcjaipur.org

Design & Printed by : www.printmediaservices.in # 9928444668